28.1.2025 पत्रावली आज नियत निर्णय पर पेशी में ली गई। प्रकरण वादपत्र में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। तहसीलदार (भू अभिलेख) हनुमानगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक 2966 दिनांक 6.08.2024 प्रेषित विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न जमाबंदी व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 के अनुसार सहखातेदारों के मध्य जोत के विभाजन हेतु निम्न सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाना है।

1. प्रत्येक सह-खातेदार को आवंटित किये गये भाग का मूल्य उसी अनुपात में होगा जितना हिस्सा कृषि जोत में है।
2. यथासंभव प्रत्येक पक्षकार को आवंटित किये जाने वाला भाग COMPACT होगा।
3. यथासंभव विद्यमान खेतों को हिस्सों में नहीं बांटा जाये।
4. यथासंभव प्लॉट जो आसामी के अलग कब्जे में हो, उनको आसामी को ही आवंटित कर दिए जायेंगे जब तक कि उसके हिस्से से अधिक ना हो।

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त सिद्धान्तों का भलीभांति पालन किया गया है एवं रास्ते व [illegible] की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में विभाजन प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्ति को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अतः आपत्ति अस्वीकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:36 IST
Reason: SelfAttested

जाती है, चूंकि विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम बहस उभयपक्ष सुनी जा चुकी है, दौराने बहस प्रति० सं. 16, 18 द्वारा RRT (1) पृष्ठ 689, RRT 2023(1) पृष्ठ 585, 587, 588 पेश किए जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया। चूंकि तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव RTA (राजस्व मण्डल) नियम 18 ता 21 के अनुसरण में भिजवाया गया है व प्रत्येक सहखातेदार का अधिकार है कि वह अपने हक व हिस्से अनुसार विभाजन करवा सकता है अतः प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

दूसरे रास्ता प्रकरण सं. 160/2021 अन्तर्गत धारा 251 A RTA इस न्यायालय में विचाराधीन है एवं हस्तगत प्रकरण की वादी स्नेहलता ने अपनी आराजी के लिए रास्ता की मांग उक्त प्रा. पत्र द्वारा की है इसलिए दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। इसलिए अतिरिक्त विभाजन में प्राप्त भूमि की पहुंच हेतु रास्ते का प्रावधान भी है जो आवश्यक है। अतः प.न. 121/25 मु.न. 57 कि.न. 23 व 24 में रास्ता स्वीकृत किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन स्वरूप तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। पर्ची डिक्री अलग से जारी की जावे। आदेश सुनाया जाकर पत्रावली बाद तकमील की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:13:36 IST
Reason: SelfAttested